

राजस्थान सरकार
निदेशालय कौष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वि हा भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फैक्स नम्बर:- 0141-2742309

क्रमांक:-:एफ.4(ई)एपीओ / अलेसे-III / 1446

दिनांक :- 05-06-2018

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की आदेशों की प्रतिका अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के निम्न 7 (8) (बी) (III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्र. सं.	लिक नं.	नाम/पदनाम	अवधि	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है:-
1	2	3	4	5
1	9197	श्री मुकेश कुमार बागडी कनिष्ठ लेखाकार	22.02.2018 से 23.02.218 (दो दिवस)	सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्री गंगानगर

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-:एफ.4(ई)एपीओ / अलेसे-III / 1446

दिनांक :- 05-06-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करावें ।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका उनके सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित विभाग/ कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें ।
4. श्री मुकेश कुमार बागडी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय:- सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्रीगंगानगर ।
5. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्रीगंगानगर ।
6. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय ।
7. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु ।
8. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा ।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)